

रामकरण काय जापान
70/2025

07/5/25 - पत्रावली नैराडुडी वकील अश्विनी उपाध्याय
अप्राधीन नकद अर्थात 57 नकद सेवक
उत्पत्तित। अश्विनी उपाध्याय 1.04.77 व 1.0.80
बीरनर एकात्मता कायपाली की जाती की
बारे व 57 नकद दिनांक 14/5/25 को
पत्रावली

1/5/25 पत्रावली पेश हुई। पी०००० साहब
अन्य राज्य कार्य में बास्त है। अतः
पत्रावली पुनः पेश दिनांक 22/5/25 -
को पेश है।

5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अश्विनी उपाध्याय
वकील अश्विनी की वकालत में पत्रावली
राज्य रिकार्ड का अवकाश को व वकील
अश्विनी की वकालत में पत्रावली
निर्देश पर पेश है कि राजस्थान रिकार्ड प्रमाण
संवत् 2074-2077 में प्राचीन अप्राधीन सं.
1. लगायत 7 रिकार्ड हानेदार का बतका दर्प
रिकार्ड है अतः वादग्रस्त आराधी पर उक्त प्रमाण
को ना-फैसल रावा भोंके की अध्यावधि काय
रखे। पत्रावली नकद सेवक के का रिकार्ड का
दाखिल वपता दी। (सुभाष)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Read
जयपुर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर)।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या :- 70/2025
रामकरण पुत्र बंदी जाति जाट
निवासी ग्राम केशवावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....प्रार्थी/वादी

बनाम

1. 64 गोपाल पुत्र श्रवण जाति जाट
2. 64 देवा पुत्र गणेश जाति जाट
3. 64 बालूराम पुत्र बंदी जाति जाट
4. 64 राजाराम पुत्र श्रवण जाति जाट
5. 64 रामलाल पुत्र छोटू जाति जाट
6. 64 हजारीलाल पुत्र श्रवण जाति जाट
7. 64 निवासीगण ग्राम केशवावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. लक्ष्मी देवी पत्नी जवाहरलाल जाति छीपा
निवासी 67, टिकीवालों का मोहल्ला, कल्याण कुन्ज, सांगानेर, जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर
पता तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।
10. उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय
पता:- तहसील कार्यालय सांगानेर, जयपुर।
11. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक
पता- शाखा मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....अप्राधीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955, व आदेश 39 नियम 1 सपठित
धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

श्रीमान् जी,
प्रस्तुत है :-

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निम्न प्रकार

कमशः....2



रामकरण